राजस्व वाद 118 / 2024
जीसीएमएस नंबर–2024 / ....
लालाराम वगैरह बनाम् सम्पुराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 118 / 2024

वादीगण–

1. लालाराम पुत्र रामपाल
2. बाहदुरराम पुत्र रामपाल
3. पुरखाराम पुत्र रामपाल

जातियान–बावरी, निवासीगण–लूणसरा, तहसील– जायल, नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. सम्पूराम पुत्र मिश्रीलाल
2. पिपूराम पुत्र मिश्रीलाल
3. सियाराम दत्तक पुत्र आदूराम पुत्र मिश्रीलाल
4. फुली पुत्री रामपाल जातियान बावरी निवासीगण लूणसरा तहसील–जायल
5. नरसीराम पुत्र चेलाराम जाति मेघवाल निवासी डेह तहसील डेह जिला–नागौर
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिव मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया मौजा लूणसरा सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 611 की भूमि के मुतदाविया खेतायों का वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य बंटवाड़ा माफिक वाद पत्र राजीनामा अनुसार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 लालाराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा लूणसरा का खेत खसरा नंबर 139 रकबा 2.0153 हैक्टेयर में से रकबा 0.6718 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 वहादुरराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा लूणसरा का खेत खसरा नंबर 139 रकबा 2.0153 हैक्टेयर में से रकबा 0.6718 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

3. वादी संख्या 3 पुरखाराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा लूणसरा का खेत खसरा नंबर 139 रकबा 2.0153 हैक्टेयर में से रकबा 0.6718 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 सम्पूराम , प्रतिवादी संख्या 3 सियाराम, प्रतिवादी संख्या 5 नरसीराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी में मौजा लूणसरा का खेत खसरा नंबर 658 रकबा 1.8292 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्से का पूर्व में बैचान करने तथा प्रतिवादी संख्या 4 फुली के हक बंट में नगदी जेवरात आदि रखने से तथा ससुराल में खेताय आने से हक बंट में कोई हिस्सा नहीं रखा गया है।अतः प्रतिवादी संख्या 2 व 4 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये नियमानुसार राज हक में स्टाम्प शुल्क अदा किये जाने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने की स्थिति में)
7. नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक ....28/08/24.......... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल